

पूर्वोत्तर रेलवे  
NORTH EASTERN RAILWAY

कार्यालय  
महाप्रबंधक/सतर्कता  
गोरखपुर - 73012

Office of General  
Manager (Vigilance)  
Gorakhpur - 273012

No. V9/2022/03/01747/PC

Dated: 12.07.2022

प्रमुख मुख्य सिगनल एवं दूरसंचार इंजी  
पूर्वोत्तर रेलवे,  
गोरखपुर।

विषय:- वार्षिक अनुरक्षण अनुबंध (AMC) में पद्धति सुधार।

एक सतर्कता जांच में पाया गया कि पूर्वोत्तर रेलवे के लखनऊ मण्डल में Passenger Amenity Equipment के अनुरक्षण/विफलता ठीक करने हेतु किये गये कुछ वार्षिक अनुरक्षण अनुबंध (AMC) के Penalty Clause में एक पैरा **“No AMC Charges shall be paid to the contractor for the penalty period.”** दिया गया है, जिसका अनुपालन नहीं किया जा रहा था। सतर्कता जांच के उपरांत इस पैरा के अनुसार Penalty Period में AMC Charge की कटौती लखनऊ मण्डल द्वारा प्रारम्भ कर दिया गया है। इस पैरा के कारण विफलता जल्द ठीक करने हेतु फर्म पर **Financial Pressure** पड़ता है। विफलता समय से ठीक न करने पर फर्म के ऊपर penalty तो लगाया जाता है परन्तु उक्त अवधि में AMC Charge भी दिया जाता है। इसके कारण फर्म के ऊपर मात्र Penalty & AMC Charge के difference का Financial Pressure पड़ता है, जो सामान्य Penalty से कम हो जाता है।

उपरोक्त को देखते हुए सतर्कता विभाग द्वारा सलाह दी जाती है कि सभी तरह के उपकरणों के अनुरक्षण/विफलता ठीक करने हेतु किये गये वार्षिक अनुरक्षण अनुबंध (AMC) के Penalty Clause में पैरा **“No AMC Charges of failed equipment shall be paid to the contractor for the penalty period.”** को भी **Impose** किया जाए। कृपया इस विषय में कृत कार्यवाही से इस कार्यालय को अवगत कराएं।

उपरोक्त पर वरिष्ठ महाप्रबंधक महोदय का अनुमोदन प्राप्त है।



Digitally signed by  
Vaibhav Srivastava  
Date: 2022.07.13  
15:38:18 +05'30'

(वैभव श्रीवास्तव)

उपमसताधि/सिगनल एवं दूरसंचार  
कृते महाप्रबंधक /सतर्कता